न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 100/2021

1. गजराज पुत्र रामोतार, जाति खाती, निवासी नावता, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।
2. राकेश पुत्र रामोतार, जाति खाती, निवासी नावता, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना ,तहसील बुहाना,जिला झुन्झुनू (राज0)।

–रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 15.09.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गजराज अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 136/2021

उपस्थितिः–

1 .श्री शिवकुमार जेवरिया, एडवोकेट –– ––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31/5/24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2021 मुकदमा नंबर 136/2021 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम गजराज अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि– "अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार,सिंघाना द्वारा पारित निर्णय 15.9.2021 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 24.8.2021 को प्रस्तुत किया, उसको शामिल मिसल किया गया लेंकिन आगे तारीख पेशी दिनांक 6.9.2021 व शहादत हेतु नियत नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested

गई और अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स ने अपने मकानों में बिजली,पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 70–80 वर्षो से पक्के मकान बनाकर अपने परिवार सहित पूर्वजों के समय से आबाद है। अपीलांट्स के मकानात के आसपास करीब 70–80 घरों की आबादी बसी हुई है जो भी पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है,जहां ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी मद से पानी की टंकी, सड़क, लाईट आदि का निर्माण किया हुआ है। अपीलांट्स के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में हल्का पटवारी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कई जिससे अपीलांट को हल्का पटवारी से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय दिनांक 15.9.2021 पारित करते वक्त पत्रावली का सही ढंग से अपना माईन्ट अप्लाई नहीं किया, विवादित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ है। उक्त निर्णय पृथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है, आदि।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता अपीलांट में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विवादित भूमि पर चारो तरफ 70–80 घरों की आबादी बसी हुई है। अपीलांटस भी अपने पूर्वजों के समय से करीब 70–80 साल से पक्के मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है, बिजली, पानी के कनेक्शन हैं, ग्राम पंचायत द्वारा भी सड़क, पानी, बिजली आदि व्यवस्थाएं है। भूमि की किस्म गैर मु0मु0 पहाड़ है जो नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने ग्राम नावता की राजकीय गैर मु0 पहाड़ की भूमि के खसरा नंबर 770/256 रकबा 14.75 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested

अवसर प्रदान किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विवादित भूमि पर चारो तरफ 70–80 घरों की आबादी बसी हुई है। अपीलांटस भी अपने पूर्वजों के समय से करीब 70–80 साल से पक्के मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है, बिजली, पानी के कनेक्शन हैं, ग्राम पंचायत द्वारा भी सड़क, पानी, बिजली आदि व्यवस्थाएं है। भूमि की किस्म गैर मु0मु0 पहाड़ है, नियमन योग्य है। अपीलांट्स के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ होने एवं पुराना कब्जा होने के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021 उनवानी सरकार बनाम गजराज, राकेश, मु0नं0 136/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदर सिंघाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested